CHANAKYA
IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE-1993

परीक्षा संचय

चाणक्य वीकली बूस्टर

करेंट अफेयर्स एंड न्यूजपेपर एनालिसिस

हैंडआउट
06
17 जुलाई से 23 जुलाई 2022

स्रोत : द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, आरएसटीवी, एलएसटीवी, एआईआर, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ आदि।

यूरो-डॉलर समता

संदर्भ :

- हाल ही में यूरो और यू.एस. डॉलर समता पर पहुंच गए हैं। वर्ष की शुरुआत के बाद से ही यूरो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 12% मूल्य खो चुका है और आगे चलकर इसके और अधिक मूल्य खोने की उम्मीद है।

> **समता:** यहाँ समता का अर्थ है कि एक डॉलर विदेशी मुद्रा बाजार में एक यूरो खरीद सकता है।

मुद्रा विनिमय दर निर्धारित करने वाले कारक :

- अर्थव्यवस्था में किसी भी मुद्रा की कीमत मुख्यतः दो कारको द्वारा निर्धारित की जाती है:
  - आपूर्ति
  - और मांग
- विदेशी मुद्रा बाजार में किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति केंद्रीय बैंक नीति और आयात और विदेशी संपत्ति की स्थानीय मांग जैसे विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है।

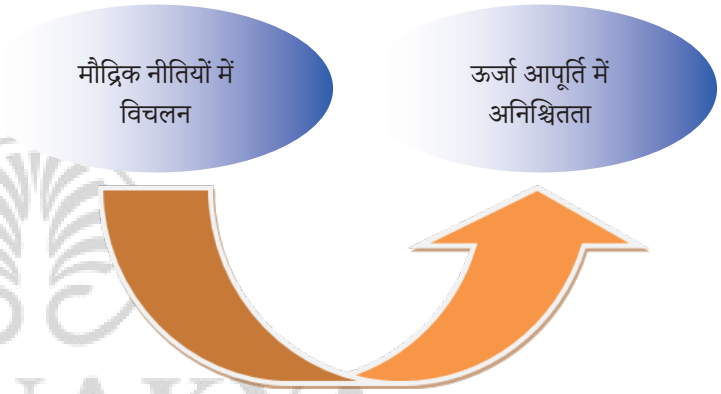

- दूसरी ओर, देश की मुद्रा की मांग, केंद्रीय बैंक की नीति और निर्यात तथा घरेलू संपत्ति की विदेशी मांग जैसे कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है।

डॉलर के मुकाबले यूरो में गिरावट का कारण

- **मौद्रिक नीतियों में विचलन:** कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यू.एस. फेडरल रिजर्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक की मौद्रिक नीतियों में अंतर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो के उल्लेखनीय मूल्यह्रास के पीछे प्राथमिक कारण है।
- कोरोनावायरस महामारी से लड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक संकट के जवाब में, फेडरल रिजर्व और ईसीबी दोनों ने खर्च बढ़ाने के लिए अपनी बैलेंस शीट का विस्तार किया। लेकिन इससे जल्द ही कीमतों में तेजी आई।
- यू.एस. में मुद्रास्फीति जून में चार दशक के उच्च स्तर 9.1% पर पहुंच गई, जबकि यूरोजोन में मुद्रास्फीति इसी महीने के अपने उच्चतम स्तर 8.6% पर पहुंच गई।
- यू.एस. फेडरल रिजर्व ने यू.एस. मुद्रा आपूर्ति वृद्धि को धीमा करने के लिए इस वर्ष ब्याज दरों में वृद्धि करके बढ़ती कीमतों को रोका है
- हालांकि, ईसीबी नीति को सख्त करने में बहुत कम आक्रामक रहा है जबकि कुछ यूरोपीय देशों में मुद्रास्फीति की दर 22% से अधिक रही है। इसके कारण यूरो का मूल्य, डॉलर के मुकाबले गिरा है क्योंकि मुद्रा व्यापारियों ने देखा या कम से कम उन्हें यह उम्मीद है कि डॉलर की आपूर्ति के मुकाबले बाजार में यूरो की आपूर्ति बढ़ रही है।
- **ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता:** रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और रूस के खिलाफ उसके बाद की कार्रवाइयों के मद्देनजर ऊर्जा आपूर्ति में अनिश्चितता से यूरो का मूल्य प्रभावित हुआ है। यूरोप को अब सीमित ऊर्जा आपूर्ति के आयात के लिए अधिक यूरो खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसने बदले में यू.एस. डॉलर के मुकाबले यूरो के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

अन्य मुद्रायें:

- हालाँकि, यूरो एकमात्र ऐसी मुद्रा नहीं है जिसका मूल्यह्रास हुआ है। जापानी येन एक अन्य प्रमुख मुद्रा है जिसने इस वर्ष अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने मूल्य का लगभग 20% मूल्य खो दिया है क्योंकि जापानी केंद्रीय बैंक अपनी आसान मौद्रिक नीति(easy monetary policy) पर कायम है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

आगे

- यू.एस. फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखने से यूरो पर और नीचे की ओर दबाव पड़ने की संभावना है। डॉलर के मुकाबले यूरो के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से ईसीबी को यूरोजोन में मुद्रा आपूर्ति वृद्धि को धीमा करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
- लेकिन इससे यूरोजोन में विकास में मंदी आने की संभावना है - 19 देश मुद्रा का उपयोग करते हैं - क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था को सख्त मौद्रिक स्थितियों के अनुसार समायोजित करना होगा। यदि ऐसा होता है, तो यूरोपीय राष्ट्र आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार लाने के लिए कर और नियामक सुधारों को लागू करने का विकल्प चुन सकते हैं।

भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

प्रसंग :

- जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ-साथ भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में दक्षिण कोरिया के चौथे स्तंभ बनने की काफी संभावनाएं हैं।
- नवनिर्वाचित कोरियाई राष्ट्रपति ने दक्षिण कोरिया की विदेश और सुरक्षा नीतियों में एक आदर्श बदलाव लाया है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि दक्षिण कोरिया को एक "वैश्विक निर्णायक राज्य, उदार मूल्यों और नियमों पर आधारित व्यवस्था" बनने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। यह बहुआयामी भारत-दक्षिण कोरिया साझेदारी के लिए कई अवसर पैदा करेगा।

पृष्ठभूमि

- राजनीतिक संबंध:
  - मई 2015 में, द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड किया गया था।
  - दक्षिण कोरिया की दक्षिणी नीति में भारत की एक प्रमुख भूमिका है जिसके तहत कोरिया अपने तत्काल क्षेत्र से परे संबंधों का विस्तार करना चाहता है।
  - इसी तरह, दक्षिण कोरिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक प्रमुख खिलाड़ी है जिसके तहत भारत का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है।
- आर्थिक:
  - 2021 की पहली छमाही (जनवरी-जून) में द्विपक्षीय व्यापार 10.97 अरब डॉलर दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 38 प्रतिशत की वृद्धि है।
  - भारत को दक्षिण कोरिया के निर्यात में 38.5 प्रतिशत ($7.4 बिलियन) की वृद्धि हुई, आयात में 37.4 प्रतिशत (3.6 बिलियन डॉलर) की वृद्धि हुई, और व्यापार संतुलन में 3.8 बिलियन डॉलर का अधिशेष दर्ज किया गया।
  - भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है
  - भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए), 2010 पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे व्यापार संबंधों के विकास में मदद मिली है।
  - कोरिया से निवेश को बढ़ाने के लिए, भारत ने निवेशकों का मार्गदर्शन करने, सहायता करने और उन्हें संभालने के लिए 'इन्वेस्ट इंडिया' के तहत एक "कोरिया प्लस" सुविधा सेल शुरू किया है।
- सांस्कृतिक:
  - कोरियाई बौद्ध भिक्षु हायचो या होंग जिओ ने 723 से 729 ईस्वी तक भारत का दौरा किया और "भारत के पांच राज्यों की तीर्थयात्रा" यात्रा वृत्तांत लिखा, जो भारतीय संस्कृति, राजनीति और समाज का एक विस्तृत विवरण देता है।
  - नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 1929 में कोरिया के गौरवशाली अतीत और उसके उज्ज्वल भविष्य के बारे में एक छोटी लेकिन विचारोत्तेजक कविता - 'लैंप ऑफ द ईस्ट' की रचना की थी।

CHANAKYA IAS ACADEMY SINCE-1993

दक्षिण कोरियाई की विदेश और सुरक्षा नीतियों में बदलाव

- नवनिर्वाचित कोरियाई राष्ट्रपति, यूं सुक येओल, ने दक्षिण कोरियाई विदेश और सुरक्षा नीतियों में एक आदर्श बदलाव लाया है।
    - एक वैश्विक निर्णायक राज्य बनने और क्षेत्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने की दक्षिण कोरिया की नई इच्छा बहु-आयामी भारत-कोरिया साझेदारी के लिए कई अवसर पैदा करने के लिए बाध्य है।
    - दोनों देश अब एक दूसरे के व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की जरूरतों को समझने और समायोजित करने की बेहतर स्थिति में होंगे।
    - उभरता हुआ रणनीतिक संरेखण आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, हरित विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, और व्यापार, में क्षमताओं का एक नया अभिसरण और घनिष्ठ तालमेल पैदा कर रहा है।
- दक्षिण कोरिया के रक्षा अभिविन्यास में रणनीतिक बदलाव के साथ, रक्षा और सुरक्षा के लिए सहयोग के नए द्वार उभरे हैं।
- उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियां और आधुनिक युद्ध प्रणालियां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के अगले स्तर के लिए नए क्षेत्र हैं।

भारत-दक्षिण कोरिया साझेदारी में चुनौतियाँ:

- **उद्देश्यों में भिन्नता:** पिछले पांच वर्षों के दौरान, भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने-अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों में काफी भिन्नता का अनुभव किया है। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में बहुपक्षीय सुरक्षा पहलों से दूर चला गया, जैसे कि क्वाड; इस बीच, भारत उनमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
- **धीमा व्यापार:** दोनों देशों के बीच व्यापार धीमा था और भारत में दक्षिण कोरियाई निवेश का कोई महत्वपूर्ण प्रवाह नहीं था। भारत और दक्षिण कोरिया ने भी अपने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) को अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया।
- **कम ध्यान प्राप्त करना:** जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के विपरीत, दक्षिण कोरिया को भारत से समान स्तर का ध्यान नहीं मिला है।
- **चीन का प्रभाव:** पहले दक्षिण कोरियाई प्रशासन का चीन की ओर भारी झुकाव था। नई नीति से दक्षिण कोरिया को अपरिहार्य चीनी दबाव का सामना करना पड़ेगा।
- **क्षेत्रीय तनाव:** उत्तर कोरिया के साथ दक्षिण कोरिया की शांति प्रक्रिया पूरी तरह चरमरा गई है। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे उत्तर कोरिया अधिक मिसाइल और परमाणु परीक्षण करेगा, इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। कोरियाई प्रायद्वीप पर शत्रुता का कोई भी ब्रेकआउट दक्षिण कोरिया की इंडो-पैसिफिक परियोजना को पटरी से उतार सकता है।

"थ्री नो ":

- दक्षिण कोरिया को चीन के साथ "थ्री नो" समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। इस समझौते के तहत, कोरिया टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD)के कोई भी अतिरिक्त टर्मिनल की तैनाती नहीं करने के लिए सहमत हुआ; अमेरिका के मिसाइल रक्षा नेटवर्क में कोई भागीदारी नहीं, और अमेरिका और जापान के साथ कोई त्रिपक्षीय सैन्य गठबंधन नहीं ।

भारत-दक्षिण कोरिया साझेदारी में सुधार का तरीका

- **सहयोग के नए रास्ते:**
    - उभरता हुआ रणनीतिक संरेखण आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, हरित विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और व्यापार, में क्षमताओं का एक नया अभिसरण और घनिष्ठ तालमेल पैदा कर रहा है।
- **रक्षा सहयोग:**
    - 2020 में, भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण कोरिया के रक्षा अभिविन्यास में रणनीतिक बदलाव के साथ, उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियां और आधुनिक युद्ध प्रणालियां दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के अगले स्तर के लिए नए डोमेन हैं।

- **समुद्री सुरक्षा गतिविधियों में दक्षिण कोरिया की भागीदारी:**
    - वार्षिक मालाबार और क्वाड देशों के साथ अन्य अभ्यासों में दक्षिण कोरिया की भागीदारी, भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत के नौसैनिक पदचिह्न को और मजबूत करेगी।

एक स्वतंत्र, मजबूत और लोकतांत्रिक दक्षिण कोरिया भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदार हो सकता है, जो भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ेगा । इस नई साझेदारी का दोनों देशों और भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है।

भारतीयों ने त्यागी नागरिकता

संदर्भ :

हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में एक अतारांकित(unstarred question) प्रश्न का उत्तर देते हुए, गृह मंत्रालय ने कहा कि 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने 2021 में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी है।

- 2020 के कोविड-प्रभावित वर्ष में अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले 85,256 लोगों की तुलना में संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, जबकि 2019 में अपने पासपोर्ट सरेंडर करने वालो के तुलना में 1.44 लाख से थोडा अधिक वृद्धि हुई है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2021 में भारतीय नागरिकता त्यागने वाले भारतीयों की सबसे बड़ी संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका (78,284) गई, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया (23,533), कनाडा (21,597), और यूनाइटेड किंगडम (14,637) गई।
- भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों में से कम संख्या ने इटली (5,986), न्यूजीलैंड (2,643), सिंगापुर (2,516), जर्मनी (2,381), नीदरलैंड (2,187), स्वीडन (1,841) और स्पेन (1,595) को चुना।

नागरिकता त्यागने का कारण

- कारण एक देश से दूसरे देश में और सामाजिक-आर्थिक और जातीय समूहों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होते हैं।
- सामान्य तौर पर, दुनिया भर में, लोग अपने देशों को बेहतर नौकरियों और रहने की स्थिति के लिए छोड़ देते हैं, और कुछ को जलवायु परिवर्तन या घर पर प्रतिकूल राजनीतिक परिस्थितियों से बाहर कर दिया जाता है।

भारत का मामला

- **परिवार:** जैसे-जैसे दुनिया भर में प्रवासी भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई है, नई पीढ़ी के पास दूसरे देशों के पासपोर्ट होने के कारण, कुछ पुराने भारतीय विदेश में बसे परिवार के साथ रहने का विकल्प चुन रहे हैं।
- **कानूनी कार्रवाई का डर:** कुछ हाई-प्रोफाइल मामलों में - जैसे जौहरी मेहुल चौकसी, विजय माल्या – ये लोग कथित अपराधों के लिए कानूनी कार्रवाई के डर से भाग जाते है

स्वतंत्रतापूर्व युग में प्रवासन

- आजादी से पहले का प्रवासी आंदोलन पूरी तरह से अलग था, जहां हमने जबरन और ठेका मजदूरों को देखा था ।
- भारतीय उपमहाद्वीप से गिरमिटिया मजदूर, विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के दौरान, जहां बड़ी संख्या में व्यक्तियों को बंधुआ मजदूरी और गुलामी में फंसाया गया था और औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉरीशस, ला रीयूनियन, स्ट्रेट सेटलमेंट्स, फिजी, नेटाल, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटिश गयाना आदि जैसे स्थानों पर भेज दिया गया था।

आजादी के बाद की स्थिति

- आजादी के बाद प्रवासी समुदाय नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिए (भारत से बाहर) जा रहे है। नौकरी के लिए जाने वाले लोग अकुशल, अर्ध-कुशल या कुशल श्रमिक भी हो सकते हैं।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट :

- ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू द्वारा 2020 की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति जो जन्म के समय प्राप्त नागरिकता का त्याग करते हैं, अपराध दर बढ़ने या घर पर व्यापार के अवसरों की कमी के कारण ऐसा कर सकते हैं। "यह आने वाली बुरी चीजों का संकेत भी हो सकता है क्योंकि (वे) अक्सर सबसे पहले लोग होते हैं - उनके पास मध्यम वर्ग के नागरिकों के विपरीत छोड़ने का साधन होता है,"।

- **GWM रिपोर्ट के अनुसार प्रवास के कुछ अन्य कारण:**
  - महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा,
  - जीवन शैली कारक जैसे जलवायु और प्रदूषण,
  - करों सहित वित्तीय चिंताएं,
  - परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर,
  - दमनकारी सरकारों से बचने के लिए।

कुछ विशिष्ट देशों को चुनने का कारण :

- सामान्य तौर पर, ऐसे देश जहां भारतीय लंबे समय से प्रवास कर रहे हैं या जहां लोगों के परिवार या दोस्त हैं, वे अधिक स्वचालित विकल्प होंगे, जैसा कि आसान कागजी कार्रवाई और अधिक स्वागत योग्य सामाजिक और जातीय वातावरण जैसे विचार होंगे।
- रिपोर्ट में एक ऐसे देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया की वैश्विक लोकप्रियता पर प्रकाश डाला गया है जो उच्च प्रवाह संख्या देख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लिए विशिष्ट कारकों ने इसे एक लोकप्रिय गंतव्य बना दिया, जिसमें इसकी बिंदु-आधारित आव्रजन प्रणाली शामिल है जो डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों और एकाउंटेंट जैसे धनी और उच्च कमाई वाले पेशेवरों का पक्ष लेती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अलावा, अंग्रेजी के बोली जाने वाली भाषा होने के कारण एक शीर्ष विकल्प हो सकता है, जो कि अमेरिका के विपरीत उच्च निवल मूल्य वाले वृद्ध व्यक्तियों के लिए उतना जटिल या महंगा नहीं था।
- रिपोर्ट में सिंगापुर को एशिया में उभरते हुए "शीर्ष धन प्रबंधन केंद्र" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो इन व्यक्तियों की अधिक संख्या को आकर्षित करने की अपनी क्षमता को दर्शाता है।

भारत में नागरिकता:

- नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।
- संविधान 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के हकदार व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) में दिया गया है।
- संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत, जो 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया, इन अनुच्छेदों को 26 नवंबर, 1949 को ही लागू किया गया था, जब संविधान को अपनाया गया था।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण का प्रावधान करता है।
  - भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, और बाहरी क्षेत्र को शामिल करके
- नागरिकता की समाप्ति अधिनियम के अनुसार तीन प्रकार से संभव है:
  - त्याग
  - समाप्ति
  - वंचन

नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी)

- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 1951 प्रत्येक गांव के संबंध में 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया एक रजिस्टर है, जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और प्रत्येक घर के सामने या उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और नाम दर्शाया गया था।
- एनआरसी 1951 में केवल एक बार प्रकाशित हुआ था।
- 1951 की एनआरसी और 1971 की मतदाता सूची (24 मार्च 1971 की मध्यरात्रि तक) को एक साथ विरासती डेटा कहा जाता है।
- जिन व्यक्तियों और उनके वंशजों के नाम इन दस्तावेजों में शामिल हैं, उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में प्रमाणित किया जाता है।
- **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019:** संशोधन में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह समुदायों - हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव है यदि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आये हुए होगे ,.
  - नागरिकता की आवश्यक शर्त को 11 वर्ष से घटाकर मात्र 5 वर्ष किया गया है ।
  - दो अधिसूचनाओं ने भी इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम से छूट दी है।
  - असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया क्योंकि यह बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान कर सकता है।
  - बिल का औचित्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदू और बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, और धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत भाग गए, लेकिन बांग्लादेश में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और इसलिए उनके बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

अल्पसंख्यको की स्थिति

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धार्मिक, भाषाई समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति राज्य पर निर्भर है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है।

IAS ACADEMY
Nurturing Leaders of Tomorrow
SINCE 1999

पृष्ठभूमि:

- अदालत मथुरा निवासी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि यहूदी, बहावाद और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो कुछ राज्यों में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, 'अल्पसंख्यक' की पहचान न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन नहीं कर सकते हैं। राज्य स्तर पर इस प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत गारंटीकृत उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है।
- याचिका में तर्क दिया गया है कि केंद्र द्वारा मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को राष्ट्रीय स्तर पर 'अल्पसंख्यकों' के रूप में मान्यता देने से इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया कि हिंदू जैसे धार्मिक समुदाय कई राज्यों में "सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से गैर-प्रमुख और संख्यात्मक रूप से हीन" है।
- यह इंगित करता है कि लद्दाख में हिंदू केवल 1%, मिजोरम में 2.75%, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, पंजाब में 38.49 % और मणिपुर में 41.29% हैं।
- याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम 1992 की धारा 2 (c) को भी चुनौती दी गई, जिसने टी.एम.ए. पई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 11-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले की अवहेलना में अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र को "बे-लगाम शक्ति" दी।

टीएमए पई केस :

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्यवार माना जाना चाहिए।

केंद्र किस प्रकार किसी समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करता है?

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2(c) के तहत केंद्र सरकार के पास एक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति है।

भारत में अधिसूचित अल्पसंख्यक

- वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा NCM अधिनियम, 1992 की धारा 2(c) के तहत अधिसूचित केवल उन्हीं समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है।
- 1993 में, पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था और पांच धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- 2014 में जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 29

- यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
- यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है

अनुच्छेद 30:

- सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (अनुच्छेद 29 के तहत) तक नहीं है।

अनुच्छेद 350-बी:

- 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम 1956 में इस अनुच्छेद को शामिल किया गया जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान करता है।
- संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत की गई थी।
- यह संविधान में और संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों में अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा उपायों के कामकाज की निगरानी करता है।

पृष्ठभूमि:

1978 में गृह मंत्रालय के संकल्प में अल्पसंख्यक आयोग (एमसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई थी।

- 1984 में, 'अल्पसंख्यक आयोग' को गृह मंत्रालय से अलग कर दिया गया और नव निर्मित कल्याण मंत्रालय के अधीन रखा गया।
- 1992 में, 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम (NCM अधिनियम), 1992' के अधिनियमन के साथ, MC एक वैधानिक निकाय बन गया और इसका नाम बदलकर 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग' (NCM) कर दिया गया।
- 1993 में, पांच धार्मिक समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।

संयोजन:

- एनसीएम में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं और ये सभी अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।
- केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले कुल 7 व्यक्ति प्रतिष्ठित, योग्यता और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से होने चाहिए।
- प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।

वामपंथी उग्रवाद

- हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा है कि 2009 से 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77 फीसदी की गिरावट आई है.
- हालांकि इस तरह की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में माओवादी हिंसा के कारण सुरक्षा बल के जवानों की मौत दोगुनी से अधिक हो गई है।
- परिणामी मौतों (नागरिकों + सुरक्षा बलों) में 85 प्रतिशत की कमी आई है जो 2010 में 1,005 के उच्चतम स्तर से 2021 में 147 हो गई है।

विभिन्न राज्यों में घटनाएं

- 2021 में, देश में सभी सुरक्षाकर्मियों की मौत का 90 प्रतिशत (50 में से 45) छत्तीसगढ़ में हुआ था ।
- झारखंड एकमात्र राज्य है जन्हा 2021 में छत्तीसगढ़ के अलावा 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत दर्ज की गई । 2019 में, देश में 52 सुरक्षा बल कर्मियों की मौत दर्ज की गई, जिसमे छत्तीसगढ़ में 22 मौते (42 प्रतिशत) महाराष्ट्र में 16 और झारखंड में 12 मौतों हुई ।
- अन्य राज्य जिनके लिए सरकार द्वारा डेटा उपलब्ध कराया गया है, वे हैं बिहार, ओडिशा और तेलंगाना। 2021 में सभी ने शून्य मौतें दर्ज कीं गई । 2022 में, ओडिशा में तीन मौतें दर्ज की गईं, जबकि झारखंड में दो मौतें दर्ज की गईं।

भौगोलिक प्रसार

हिंसा का भौगोलिक प्रसार कम हो गया है क्योंकि 2010 में 96 जिलों की तुलना में 2021 में केवल 46 जिलों ने वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की सूचना दी थी।

- भौगोलिक विस्तार में गिरावट सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की कम संख्या में भी परिलक्षित होती है।
- एसआरई जिलों की संख्या अप्रैल 2018 में 126 से घटाकर 90 और जुलाई 2021 में 70 होगी है ।
- इसी तरह, 'सबसे अधिक वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों' के रूप में वर्गीकृत वामपंथी उग्रवाद की हिंसा में लगभग 90 प्रतिशत योगदान देने वाले जिलों की संख्या 2018 में 35 से घटकर 30 और 2021 में 25 हो गई।

वामपंथी उग्रवाद - मूल

वामपंथी उग्रवाद की उत्पत्ति 1967 में पश्चिम बंगाल के तीन क्षेत्रों नक्सलबाड़ी (जहां से नक्सल शब्द की उत्पत्ति हुई), दार्जिलिंग जिले के फांसिदेवा और खोरीबाड़ी में हुई है।

- प्रारंभिक विद्रोह का नेतृत्व चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने किया, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य थे। प्रारंभिक विद्रोह किसान विद्रोह के रूप में था।
- दो साल बाद 1969 में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का गठन किया गया था।
- हालांकि यह आंदोलन पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, लेकिन यह आंदोलन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में दक्षिणी और पूर्वी भारत के कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में फैल गया।
- आज, लगभग सभी नक्सली समूहों की उत्पत्ति भाकपा (एम-एल) से हुई है।
- माओवादी कम्युनिस्ट केंद्र (एमसीसी) का गठन 1975 में किया गया था। इस समूह का 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप के साथ विलय कर भाकपा (माओवादी) का गठन किया गया था।

वामपंथी उग्रवाद के कारण

- आंदोलन के उदय के पीछे मुख्य कारण खनिज समृद्ध होने के बावजूद इन क्षेत्रों के विकास की भारी कमी थी।
- **जल-जंगल-जमीन** का मुद्दा शुरू से इन विद्रोहों के केंद्र में है। आदिवासी लोगों का उनकी खनिज समृद्ध भूमि के लिए नियमित रूप से शोषण किया गया। वहां पर अवैध अतिक्रमण हुए और वनवासी अपनी ही जमीन पर अधिकार से वंचित किये गए।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

आदिवासी असंतोष:

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उपयोग आदिवासियों को लक्षित करने के लिये किया गया है, जो अपने जीवन यापन हेतु वनोपज पर निर्भर हैं।
- विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों की वजह से नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में व्यापक स्तर पर जनजातीय आबादी का विस्थापन हुआ है।

आजीविका का अभाव:

- ऐसे लोग जिनके पास जीने का कोई साधन नहीं है, उन्हें माओवादी नक्सलवाद में ले जाते हैं।
- माओवादी ऐसे लोगों को हथियार और गोला-बारूद और पैसा मुहैया कराते हैं।

शासन से संबंधित मुद्दे

- वे बड़े पैमाने पर आदिवासी क्षेत्र थे और इनको सरकार और मुख्यधारा के मीडिया द्वारा भी उपेक्षित किया गया था।
- प्रशासनिक तंत्र में घोर अक्षमता और कुप्रबंधन था। भ्रष्टाचार भी बड़े पैमाने पर लोगों के लिए दुख का कारण बन रहा था।
- लोगों के बड़े समूहों के अलगाव और सामाजिक बहिष्कार ने उनमें से कुछ वर्गों को उस समय की सरकार और बड़े पैमाने पर समाज से अलग होने का अनुभव कराया।

वामपंथी उग्रवाद से लड़ने के लिए सरकार की पहल

- ग्रेहाउंड्स: वर्ष 1989 में इसे एक विशिष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में स्थापित किया गया था।
- ऑपरेशन ग्रीन हंट: इसे वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था जिसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।
- वामपंथी उग्रवाद (LWR) मोबाइल टावर परियोजनाः सरकार द्वारा वर्ष 2014 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य क्षेत्रो में मोबाइल संपर्क में सुधार करने हेतु मोबाइल टावरों की स्थापना को मंज़ूरी दी गई थी।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम: इसे वर्ष 2018 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य उन ज़िलों में तीव्रता से सुधार करना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है।
- समाधान (SAMADHAN): समाधान सिद्धांत वामपंथी उग्रवाद की समस्या का एकमात्र समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की पूरी रणनीति शामिल है
- इसका अर्थ है:
    - S- स्मार्ट लीडरशिप।
    - A- आक्रामक रणनीति।
    - M- प्रेरणा और प्रशिक्षण।
    - A- एक्शनेबल इंटेलिजेंस।
    - D- डैशबोर्ड आधारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक (KPIs) और मुख्य परिणाम क्षेत्र (KRAs)
    - H- हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी।
    - A- प्रत्येक थिएटर/नाटकशाला हेतु कार्य योजना।
    - N- वित्तपोषण तक पहुँच नहीं।
- रोशनी पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (पूर्व में आजीविका कौशल) के तहत एक विशेष पहल है, जिसे जून 2013 में 9 राज्यों के 27 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के ग्रामीण गरीब युवाओं के प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए शुरू किया गया था।

- खुफिया जानकारी साझा करना और एक अलग 66 भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी), सीआरपीएफ बटालियन जैसे कोबरा बटालियन, बस्तरिया बटालियन आदि का गठन सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद संगठनों के खतरे को रोकने के लिए किया गया था।

प्रश्नकाल

- प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है।
- इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया के नियमों में किया गया है।

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं,

- तारांकित प्रश्न:
  - ये तारक द्वारा द्वारा अलग किया जाता है।
  - इसके लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
  - इन प्रश्नों की सूची हरे रंग में छपी होती है ।
- अतारांकित प्रश्न:
  - इसके लिए एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।
  - इन प्रश्नों की सूची सफेद रंग में छपी होती है ।
- अल्प सूचना प्रश्न:
  - इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है।
  - दस दिन से कम का नोटिस देकर पूछा जाता है।
  - इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।
  - इन प्रश्नों की सूची हल्के गुलाबी रंग में छपी होती है।

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. वर्ष की शुरुआत के बाद से यूरो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 12% मूल्य खो चुका है।
2. जापानी येन एक अन्य प्रमुख मुद्रा है जिसने इस वर्ष अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने मूल्य का लगभग 20% मूल्य खो दिया है।

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. भारत ने ..... के लिए "कोरिया प्लस" पहल शुरू की है।

(a) निवेशकों का मार्गदर्शन, और सहायता करना।

(b) रक्षा क्षेत्र में तेजी लाने के लिए

(c) कृषि क्षेत्र में देश की सहायता करना

(d) मुद्रा स्वाइप के लिए

3. निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. तारांकित प्रश्नों के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए, पूरक प्रश्नों का अनुसरण नहीं किया जा सकता है।
2. अतारांकित प्रश्नों के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्नों का अनुसरण किया जा सकता है।

कौन सा कथन गलत है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए :

(a) वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है।

(b) 2014 में, जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(c) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।

(d) अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों तक ही सीमित है।

5. वामपंथी उग्रवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की उत्पत्ति तेलंगाना किसान विद्रोह (1946-51) से हुई।
2. चीनी मीडिया ने इस आंदोलन को "स्प्रिंग थंडर" कहा था।

निम्न में से कौन सा सही है ?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

CHANAKYA IAS ACADEMY Nurturing Leaders of Tomorrow SINCE-1993

उत्तर

1	2	3	4	5
C	A	C	C	C

NOTE: दिए गये प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या के लिए ऊपर दिए गये आलेखों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।